प्रेस नोट **22/11/2025**

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में जनपद में वांछित व पुरुस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने विरुद्ध व्यापक अभियान चलाकर वाँछित व पुरुस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी करने हेतु निर्देशित किया गया था उक्त अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ के नेतृत्व में कोतवाली नगर पुलिस टीम उ0नि0 सुनील कुमार सरोज मय हमराह उ0नि0 जय प्रकाश मय लेपर्ड कर्मगण का0 राधेश्याम व का0 असलम परवेज के देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध वाहन व्यक्ति तथा डग्गामार वाहनों की चेकिंग, जाँच पेण्डिंग एहकामात में मामूर थे तभी सूचना प्राप्त हुई कि मु0अ0सं0 406/25 धारा 2/3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ में वाँछित अभियुक्त राहुल सोनकर पुत्र जंगी सोनकर निवासी महरनिया दक्षिण टोला थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ अन्य मुकदमें में जमानत पर रिहा होकर किसी काम से थाना कोतवाली नगर आया है। इस सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए वाँछित अभियुक्त राहुल सोनकर पुत्र जंगी सोनकर उम्र 28 वर्ष निवासी निवासी महरनिया दक्षिण टोला थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ को दिनांक 21.11.2025 को समय करीब 20.50 बजे थाना परिसर से गिरफ्तारी पुलिस लिया गया अभियुक्त राहुल सोनकर पुत्र जंगी सोनकर उपरोक्त को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय चालान किया जा रहा है।

- **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-**
  1. **राहुल सोनकर पुत्र जंगी सोनकर निवासी निवासी महरनिया दक्षिण टोला थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ उम्र 28 वर्ष**

- **आपराधिक इतिहास:-**
  1. मु0अ0सं0 406/2025 धारा 2/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
  2. मु0अ0सं0 184/2025 धारा 103(1), 115(2), 190, 191(2), 191(3), 3(5), 351(2), 61(2) BNS व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ

- **गिरफ्तारी टीम:-**

1. उ0नि0 सुनील कुमार सरोज थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
2. उ0नि0 जय प्रकाश थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
3. का0 राधेश्याम थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
4. का0 असलम परवेज थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ

थाना सरायलखन्सी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सरवां बाजार में सुनार की दुकान से शटर तोड कर चोरी की घटना में सम्मिलित 05 नफर अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 11 जोड़ी सफेद धातु की पायल व चोरी के 520 रुपये व घटना में प्रयुक्त दो अदद लोहे की छड़ बरामद–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार व क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार के कुशल पर्वेक्षण/नेतृत्व में आज दिनांक 22.11.2025 को थाना सरायलखन्सी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर हथिनी पुल के पास से मु0अ0सं0 475/25 धारा 305(ए), 331(4), 317(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्तगण राजकुमार पुत्र स्व0 जयपाल, भिखारी पुत्र स्व0 जगपाल, सुल्ताना पुत्र टुनकू, धर्मवीर पुत्र सुखदेव, तोताराम पुत्र अर्जुन निवासीगण ईशापुर थाना निगोही जनपद शाहजहांपुर जिनके कब्जे से चोरी की 11 जोड़ी सफेद धातु की पायल व चोरी के 520 रुपये व घटना में प्रयुक्त दो अदद लोहे की छड़ बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है किं दिनांक 15/16.11.2025 की रात्रि में ग्राम सरवां बाजार में सुनार की दुकान से शटर तोड़ कर अज्ञात चोरो द्वारा दुकान में रखी तिजोरी को तोड़कर सोने चांदी के आभूषण चोरी कर लिया गया था, जिसके क्रम में वादी मुकदमा राज वर्मा पुत्र मोहन वर्मा निवासी सरवां चट्टी थाना सरायलख्सी जनपद मऊ के लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 16.11.2025 को थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 475/25 धारा 305(ए), 331(4), 317(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त में गिरफ्तार अभियुक्तों से कडाई से पूछताछ में बताया किं हमलोग घूम घूमकर मच्छरदानी व चटाई बेचने के बहाने देखते हैं किं कहां से चोरी करने में आसानी रहेगी। इसीलिए रात्रि में सरवां बाजार में सुनार की दुकान के शटर में लगा ताला तोड़ कर अन्दर रखी तिजोरी को हम लोग उठा ले गए कुछ दूर खेत में ले जाकर तोड़ दिए थे। उसमें रखी गहने आपस में बाट लिए थे। थाना स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तो का चालान न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

1. राजकुमार पुत्र स्व0 जयपाल निवासी ईशापुर थाना निगोही जनपद शाहजहांपुर।
2. भिखारी पुत्र स्व0 जगपाल निवासी ईशापुर थाना निगोही जनपद शाहजहांपुर।
3. सुल्ताना पुत्र टुनकू निवासी ईशापुर थाना निगोही जनपद शाहजहांपुर।
4. धर्मवीर पुत्र सुखदेव, निवासी ईशापुर थाना निगोही जनपद शाहजहांपुर।
5. तोताराम पुत्र अर्जुन निवासी ईशापुर थाना निगोही जनपद शाहजहांपुर।

बरामदगी–

1. चोरी की 11 जोड़ी सफेद धातु की पायल।
2. चोरी के 520 रुपये।
3. घटना में प्रयुक्त दो अदद लोहे की छड़ बरामद।

अभियुक्त राजकुमार का आपराधिक इतिहास–

1. मु0अ0सं0 104/21 धारा 380, 411, 413, 414, 457 भादवि थाना मेजा, कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. मु0अ0सं0 537/21 धारा 411, 413, 414 भादवि थाना मेजा, कमिश्नरेट प्रयागराज।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–

1. उ0नि0 अनिल तिवारी
2. उ0नि0 मनोज कुमार सिंह
3. उ0नि0 बृजेश कुमार
4. उ0नि0 रमन मिश्रा
5. उ0नि0 नयन वर्णवाल
6. हे0का0 विजय बहादुर
7. का0 रोहित सिंह
8. का0 मनीष त्रिपाठी थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।

जनशिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराये जाने के क्रम में आज दिनांक 22.11.2025 को श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों पर समाधान/थाना दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान द्वारा समस्त थानों पर

क्षेत्राधिकारीगण व प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा जनशिकायतों को सुना गया तथा इसके समयबद्ध तथा गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु सर्वसम्बन्धित को निर्देशित किया गया। जनपद के समस्त थानों पर 92 प्राप्त प्रार्थना पत्रों में से कुल 02 प्रार्थना पत्रों का मौके पर निस्तारण कराया गया तथा राजस्व विभाग से सम्बन्धित प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु राजस्व टीम को आवश्यकतानुसार पुलिस बल उपलब्ध कराकर निस्तारण किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।